131

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1072–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–3–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 1036/अपील/2010–11.

जगजीवन सिंह तनय स्व0 दुर्गा सिंह
निवासी ग्राम पलिया, त्रिवेणी सिंह तह0
मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

रेपति रमण सिंह तनय श्री हरिशरण सिंह,
निवासी ग्राम पलिया, त्रिवेणी सिंह तह0
मऊगंज जिला रीवा म0प्र0

——— अनावेदक

.....

श्री डी0 एस0 चौहान, अभिभाषक आवेदक
श्री आई0पी0 द्विवेदी, अभिभाषक अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/07/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 24–3–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार मऊगंज जिला रीवा के नामांतरण पंजी कमांक 03 में पारित आदेश दिनांक 24–4–07 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(1) के तहत अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज जिला रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी मऊंगज ने आदेश दिनांक 03–3–2011 को अपील

स्वीकार करते हुये नामांतरण निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 08–3–2011 के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 24–3–15 के द्वारा अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय एवं वैधानिक प्रश्न यह है कि क्या सहखातेदार को ही भूमि के बटवारे की पात्रता होती है?

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है खसरा पंलशाला वर्ष 2004–05 लगायत 2008–09 में सर्वे कमांक 257/4 रकवा 0.50 डि. में अपीलार्थी जगजीवन सिंह भूमिस्वामी के रूप में दर्ज अभिलेख है, परन्तु तहसीलदार मऊगंज ने अनावेदक द्वारा बटवारा हेतु आवेदन पर विधिवत इश्तहार का प्रकाशन नहीं किया। आवेदक को किसी प्रकार सूचना नहीं दी गई है। तहसीलदार ने इस वैधानिक स्थिति पर गौर नहीं किया कि अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि का सहखातेदार नहीं होने से बटवारा कराने का हक नहीं रखता है। नामांतरण पंजी के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिना विधिवत फर्द पुल्ली तैयार किये ही बटवारा आदेश पारित कर दिया गया है जिसपर आवेदक के हस्ताक्षर भी नहीं है, जबकि हितबद्ध पक्षकार था। इसके अतिरिक्त पंजी पर बटवारे की कार्यवाही संपादित की जाना वैधानिक रूप से उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार के अवैधानिक आदेश को अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त करने में वैधानिक एवं न्यायोचित कार्यवाही की है। परन्तु अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के वैधानिक आदेश को इस आधार पर निरस्त कर दिया है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तीन वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई थी तथा अनावेदक हरिशरण का पुत्र है। अपर आयुक्त द्वारा तथ्यात्मक आधारों पर आधार पारित नहीं किया गया मात्र तकनिकी आधारों पर आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश

को निरस्त करने में त्रुटि की गई है। यहां यह प्रश्न विचारणीय है कि जब अनावेदक प्रश्नाधीन भूमि में सहखातेदार नहीं था तब उसे विधि की मंशा के विपरीत उसका बटवारे में भूमि प्रदान नहीं की जा सकती थी। जहां तक अनावेदक के इस तर्क का प्रश्न है कि आवेदक द्वारा फर्जी कूटरचिज दस्तावेजों के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि अपने नाम पर करा ली थी, तब अनावेदक को उक्त आदेश को विधिवत सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए था। अनावेदक द्वारा उक्त बिन्दु पर सक्षम न्यायालय से कोई राहत प्रदान की गई हो ऐसा तथ्य अपने तर्कों में प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेखों में मात्र आवेदक जगजीवन के नाम पर दर्ज प्रश्नाधीन भूमि पर सहखातेदार न होते हुये भी तहसीलदार द्वारा अनावेदक के पक्ष में बटवारा आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है तथा अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में अनुचित एवं अनियमित कार्यवाही की है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश भी विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 24–3–15 निरस्त किया जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर